न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

उनवान—सरकार बनाम परवेज खान
केस्म— सैशन प्रकरण नंबर—19/16 क.न.—83/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11-09-25	सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त परवेज खान मय अधिवक्ता उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में गवाह सुरेन्द्र भाटिया को विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया अतः उक्त गवाह की तलबी बंद की जावें तथा गवाह रमेश सिंह के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता अभियुक्त को दिलाई गई। विशेष लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गवाह रमेश सिंह ने संबंधित कंपनी वोडाफोन आईडिया से नौकरी छोड दी है और कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात को वर्तमान में नियुक्त नोडल अधिकारी राजेश त्रिपाठी साबित कर सकते है अतः गवाह रमेश सिंह के स्थान पर राजेश त्रिपाठी नोडल अधिकारी वोडाफोन आईडिया का नाम जोड़ा जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए दस्तावेजात पर नोडल अधिकारी राजेश त्रिपाठी के हस्ताक्षर नही है अतः उक्त गवाह संबंधित नही होने से उसका नाम नही किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम द्वारा की ता से जारी

गवाह रमेश सिंह नोडल अधिकारी के कंपनी से नौकरी छोडकर चले जाने से वर्तमान नोडल अधिकारी राजेश त्रिपाठी का नाम जोड़ा जावें इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने आपत्ति जाहिर की। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वोडाफोन कंपनी से संबंधित कैफ फॉर्म व कॉल डिटेल है और उक्त दस्तावेजात के तथ्यो के बारे में संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी ही स्थिति स्पष्ट कर सकते है, साथ ही वोडाफोन कंपनी द्वारा दस्तावेजात उपलब्ध कराए जाने वाले नोडल अधिकारी रमेश सिंह द्वारा नौकरी छोड़कर चले जाने से संबंधित वर्तमान नोडल अधिकारी राजेश त्रिपाठी को हस्तगत प्रकरण के न्याय निर्णय व दस्तावेजात के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से गवाह सूची में उक्त गवाह राजेश त्रिपाठी का नाम लाल स्याही से जोडा जावें।

पत्रावली पूर्व नियत पेशी दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।